पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना)

1	योजना का नाम	पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना)
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	वर्ष 2006-07 से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले प्रत्येक परिवार को बीमा लाभ के साथ परिवार के आश्रित दो पुत्र/पुत्रियों को कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत रहने की स्थिति में 300 रूपये त्रैमासिक की दर से वार्षिक 1200 रूपयें छात्रवृति दी जा रही है।
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	2006
4	लाभान्वित वर्ग	बी0पी0एल0 परिवारों के कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत दो आश्रित पुत्र/पुत्रियॉं।
5	पात्रता	(1) छात्र/छात्रा को बी0पी0एल0 परिवार से सम्बन्धित होना। (2)कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत होना चाहिए।
6	देय सुविधा	कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत रहने पर 300 रूपये त्रैमासिक की दर से अधिकतम 1200 रूपये वार्षिक देय है।
7	आवेदन का तरीका	(1) निर्धारित आवेदन पत्र (संलग्न) अपने परिवार के बी0पी0एल0 कार्ड की प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना होता है। (2) तत्पश्चात् यह आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के माध्यम से जीवन बीमा निगम को प्रेषित किया जाता है।
8	आवेदन कहां किया जावे	छात्र/छात्रा द्वारा अपने अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान को ।
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	परिवार के बी0पी0एल0 कार्ड की प्रमाणित प्रति आवेदन प्रत्र के संलग्न करना।
10	सम्पर्क सूत्र	संबंधित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/ग्रामपंचायत/नगरीय निकाय - नगरपालिका, नगरपरिषद, नगर निगम।